


आदेश

कार्यवाही विवरण  
सुभाष कुमार बनाम शारदा देवी आदि  
प्र0सं0 86/2021

06-06-22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी को बार-बार रूक-रूक कर न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई। परन्तु इनकी ओर से ना तो वादी अधिवक्ता उपस्थित आये ना ही वादी उपस्थित आये। इससे स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवराज

